संख्या-23/2021/198/सैंतीस-2-2021-1(13)/2019

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-01 मार्च, 2021

विषयः-**चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में पशु रोग नियँत्रण योजना (60 प्रति0के0पो0) (ट्राईबल सब प्लान) के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-360/सा0-1/एक्स-120/एस्कैड/ट्रा-सबप्लान/2019-20, दिनांक-25.01.2021 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-76/2020/1947/सैंतीस-2-2020-1(13)/2019, दिनाँक-25.09.2020 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा पुनर्वैधीकृत केन्द्रांश के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-81 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-02-राष्ट्रीय पशु प्रबन्धन कार्यक्रम-05-डिजीज फ्रीजोन की स्थापना (के.60/रा.40-के.+रा.) के विभिन्न मानक मदों में सम्भावित बचतों से लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-07-पशु रोग नियंत्रण योजना (के.60/रा.40-के.+रा.) के मानक मद 39-औषधि तथा रसायन में रू0-160.97 लाख (रूपये एक करोड़ साठ लाख सत्तान्नबे हजार मात्र) की धनराशि संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9 के अनुसार पुनर्विनियोजित किये जाने की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैंः-

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा
(2) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
(4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-24.03.2020, 07.04.2020, 11.04.2020 एवं 18.05.2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-81 के अधीन लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-07-पशु रोग नियंत्रण योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)-39-औषधि तथा रसायन' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-1-169/दस-2021, दिनांक-19.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - प्रपत्र बी.एम.-9

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-23/2021/198(1)/सैंतीस-2-2021- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मँत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।